<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 269/2020 अपील (GCMS/2020/00293)
पंजीयन दिनांक - 17.08.2020
निर्णय दिनांक - 04.11.2020

1. श्रीमती मांगीबाई पिता स्व.श्री कालुजी कुम्हार, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, मावली जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री शान्तिलाल चपलोत, सी.एस.आमेटा - वकील अपीलार्थी
3. राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी

जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय दिनांक 04.12.2019 बमुकदमा क्रमांक प/12/3 राजस्व/भूदान होल्ड से खा/19/1863 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

दिनांक 04.11.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय दिनांक 04.12.2019 बमुकदमा क्रमांक प/12/3 राजस्व/भूदान होल्ड से खा/19/1863 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- राजस्व ग्राम सनवाड, तहसील मावली के साबिक आराजी नम्बर 2323/2घ रकबा 2.00 बीघा भूमि श्री कालु पिता देवा कुम्हार सा.सनवाड़ के नाम नामान्तरकरण संख्या-149 दिनांक 13.06.1958 से भूदान होल्डर से दर्ज हुई। श्रीमती मांगी बाई, श्री कालु पिता देवा कुम्हार की पुत्री है। श्री कालू की स्वर्गवास उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या-3286 दिनांक 04.02.2008 को श्रीमती मांगी बाई पिता कालु एवं श्रीमती कंकुबाई पत्नि स्व. श्री

कालु कुम्हार के नाम दर्ज हुई। श्री कालु कुम्हार की पत्नि श्रीमती कंकु के स्वर्गवास उपरान्त नामान्तरकरण संख्या-4973 दिनांक 01.07.2016/28.06.2016 से उक्त भूमि श्रीमती मांगी बाई के नाम दर्ज हुई। साबिक आराजी संख्या-2323/2घ का भू-प्रबन्ध के पश्चात नया वर्तमान खसरा संख्या-3102 रकबा 2.11 बीघा बना। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या-1492 पर श्रीमती मांगीबाई पिता स्व. श्री कालु कुम्हार सा. सनवाड़ भूदान होल्डर दर्ज है। प्रार्थीया श्रीमती मांगीबाई द्वारा उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.3.2018 प्रस्तुत किया गया।

- जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आदेश एवं निर्णय दिनांक 04.12.2019 बमुकदमा क्रमांक प/12/3 राजस्व/भूदान होल्ड से खा/19/1863 से मौके पर फसल काश्त नहीं करने से एवं भूमि पडत होने से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से राजस्थान भू-राजस्व नियम-1970 की धारा-14(4) अंतर्गत तहसीलदार, मावली स्तर से कार्यवाही प्रस्तावित की तथा प्रकरण की पुनः सही जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया।

जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 13.08.2020 को प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए अपील दिनांक 17.08.2020 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाये गये। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 28.10.2020 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या-1492 पर श्रीमती मांगीबाई पिता स्व. श्री कालु कुम्हार सा. सनवाड़ भूदान होल्डर दर्ज है। प्रार्थीया श्रीमती मांगीबाई द्वारा उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.3.2018 प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा सम्बन्धितों से रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमे कोई कमी नहीं पाई गई फिर भी जिला कलक्टर ने उक्त आदेश करने में भारी भूल की एवं भू-राजस्व अधिनियम-1970 की धारा-14(4) में कार्यवाही प्रस्तावित करने में भूल फरमाई है। राजस्थान भू-दान यज्ञ बोर्ड के सचिव ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर को अपने पत्र क्रमांक

भू-दान/2019/882 दिनांक 17.03.2020 को लिखा है कि प्रार्थीया मांगीबाई पिता स्व. श्री कालु कुम्हार को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में प्रार्थीया के आवेदन के संदर्भ में भूदान होल्डर मांगी बाई द्वारा आराजी संख्या-3102 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूदान बोर्ड़ की कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार चाहता है। राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम संशोधन 2008 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18.01.2010 में दिये निर्देशों के अनुसरण में भूदान होल्डर को खातेदारी दिये जा सकते है। मांगीबाई का कोई विवाद बोर्ड कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। अतः नियमानुसार भूदान होल्डर को खातेदार दिलाने की कार्यवाही कर सकते है। उपखण्ड अधिकारी, मावली, तहसीलदार-मावली एवं पटवारी सनवाड, नगर पालिका सनवाड एवं भूदान बोर्ड ने भी अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार दर्ज में कोई एतराज नहीं जताया है, यह सभी बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा देख लिये फिर भी इन तथ्यों को नजरअन्दाज कर मनमाना फैसला कराने में कानुनी भुल की है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कई वर्षों से निर्बाध कब्जा है और काश्त करती आ रही है। आलौच्य निर्णय की जानकारी प्रार्थीया को नहीं थी, प्रार्थीया को निर्णय की जानकारी मार्च 2020 अंतिम सप्ताह में होने से भारत सरकार द्वारा महामारी अधिनियम के तहत लोकडाउन कर दिया गया, अनलॉक के दौरान नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है। अंत में अपीलार्थी द्वारा विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 04.12.2019 को निरस्त फरमाये जाने का अनुरोध किया।

राजकीय पेरोकार (प्रत्यर्थी) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का आदेश विधि सम्मत होने एवं सभी तथ्यों के परीक्षण व विश्लेषण उपरान्त पारित किये जाने का कथन कर अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है, प्रस्तुत कारण संतोषप्रद नहीं है। अपीलार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा भी सभी तथ्यों का पूर्ण परिक्षण कर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं दौराने अपील प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर परिशीलन किया।

यहा सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु पर विवेचन किया जाना उचित होगा। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 18.06.2020 से वैश्विक महामारी कोविड-19 के वादों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब अवधि को माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश सुओ मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नम्बर 3/2020 दिनांक 23.03.2020 पारित आदेशानुसार अवधि दिनांक 23. 03.2020 से 29.06.2020 तक को परिसीमा अवधि में सम्मिलित नहीं किये जाने आदेश दिया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

> Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s. 5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से अपीलार्थी के हित प्रभावित होते है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का यह अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाता है और अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकनानुसार प्रथम दृष्टया वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि

1. राजस्व ग्राम सनवाड, तहसील मावली के साबिक आराजी नम्बर 2323/2घ रकबा 2.00 बीघा भूमि श्री कालु पिता देवा कुम्हार सा.सनवाड़ के नाम नामान्तरकरण संख्या-149 दिनांक 13.06.1958 से भूदान होल्डर से दर्ज हुई।

2. श्रीमती मांगी बाई, श्री कालु पिता देवा कुम्हार की पुत्री है।

3. श्री कालू की स्वर्गवास उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या-3286 दिनांक 04.02.2008 को श्रीमती मांगी बाई पिता कालु एवं श्रीमती कंकुबाई पत्नि स्व. श्री कालु कुम्हार के नाम दर्ज हुई।

4. श्री कालु कुम्हार की पत्नि श्रीमती कंकु के स्वर्गवास उपरान्त नामान्तरकरण संख्या-4973 दिनांक 01.07.2016/28.06.2016 से उक्त भूमि श्रीमती मांगी बाई के नाम दर्ज हुई।

5. साबिक आराजी संख्या-2323/2घ का भू-प्रबन्ध के पश्चात नया वर्तमान खसरा संख्या-3102 रकबा 2.11 बीघा बना।

6. वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या-1492 पर श्रीमती मांगीबाई पिता स्व. श्री कालु कुम्हार सा. सनवाड़ भूदान होल्डर दर्ज है।

7. प्रार्थीया श्रीमती मांगीबाई द्वारा उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.3.2018 प्रस्तुत किया गया।

8. पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 अनुसार उपरोक्त भूमि **कृषि कार्य में उपयोग में आ रही है।** बाउण्ड्रीवाल का निर्माण। संवत् 2072 की नकल खसरा गिरदावरी अनुसार **उडद-फसल** का उत्पादन। भूमि का वर्गीकरण-**बारानी प्रथम**

9. उपखण्ड अधिकारी, मावली के रिपोर्ट (प्राप्ति दिनांक 11.2.2019) अनुसार-

- **भूमि प्रार्थीया के कब्जे काश्त में**, विवादरहित, डूब व बहाव क्षेत्र में नहीं, मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर एवं आबादी से 700 मीटर दूरी पर स्थित।
- **पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.01.2019 अनुसार उपरोक्त भूमि कृषि कार्य में उपयोग में आ रही है। बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।**
- तहसीलदार व सम्बन्धित पटवारी के रिपोर्ट अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा मय अनुशंषा रिपोर्ट जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रेषित।

10. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा कमियों पर उपखण्ड अधिकारी, मावली से पुनः पत्र दिनांक 25.03.2019 से रिपोर्ट चाही गई।

11. उपखण्ड अधिकारी, मावली के रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 अनुसार-

- **भूमि प्रार्थीया के कब्जे काश्त में।**
- **प्रस्तावित भूमि पर खातेदारी देने में नगर पालिका सनवाड को कोई आपत्ति नहीं।**
- **तहसीलदार, मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया द्वारा आंवटन शर्तों पालना कर ली गई है।**
- एन.एच.162 से संपकित है।
- **संवत् 2072** की नकल खसरा गिरदावरी अनुसार **उडद-फसल** का उत्पादन। **सवंत 2073 व 2075** में ज्वार फल का उत्पादन। भूमि का वर्गीकरण-**बारानी प्रथम**

12. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा कमियों पर उपखण्ड अधिकारी, मावली से पुनः पत्र दिनांक 02.07.2019 से रिपोर्ट चाही गई।

13. उपखण्ड अधिकारी, मावली के रिपोर्ट दिनांक 08.07.2019 अनुसार-

- मौके पर उक्त भूमि पड़त होकर पश्चिमी मेड सम्पूर्ण दिवार 5 फिट तथा उत्तरी पूर्वी व दक्षिण मेड जीर्णशीर्ण दिवार पत्थरों की बनी हुई है।
- भूमि प्रार्थीया के कब्जे में। प्रार्थीया के ससुराल जाने से फसल काश्त नहीं करना बताया गया।
- एन.एच.162 से संपकित है। मौके पर खसरा संख्या-3102 का उत्तरी पश्चिमी कोने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-162 के मध्य से 69 फीट दूरी पर है।

जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा मौके पर फसल काश्त नहीं करने से एवं भूमि पडत होने से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से राजस्थान भू-राजस्व नियम-1970 की धारा-14(4) अंतर्गत तहसीलदार, मावली स्तर से कार्यवाही प्रस्तावित की तथा प्रकरण की पुनः सही जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया।

प्रकरण में उपरोक्त वस्तुस्थिति एवं जिला कलक्टर एवं अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेश एवं टिप्पणीयों का राजस्व विभाग द्वारा पारित विभिन्न परिपत्रों एवं राजस्व अधिनियम/नियमों के परिपेक्ष्य में विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। राजस्व ग्रुप-6 के परिपत्र दिनांक 26.03.2009 अनुसार सभी जिला कलक्टर को निर्देशित किया गया कि--

After the above mentioned amendment, all the land granted under this Act stand vested in the State Government and the grantee of such land have become entitled to grant of khatedari rights under the provisions of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955)

You are requested to bring the above mentioned position to the knowledge of all concerned officers and to direct them to ensure that khatedari rights are conferred upon all such grantees in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and necessary corrections are made in the revenue records.

इसी क्रम में राजस्व ग्रुप-6 के परिपत्र दिनांक 15.03.2010 अनुसार--

''जिला कलक्टरों द्वारा इस विभाग से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 2(12)राज-6/92/पार्ट/4 दिनांक 26.03.2009 के परिपेक्ष्य में नगरीय सीमा या पेराफेरी बेल्ट में स्थित भूदान की भूमियों पर खातेदारी अधिकार किस प्रकार दिये जायें। इस सम्बन्ध में लेख है कि राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्र. 9(15)राज-6/2005/पार्ट/43 दिनांक 29.08. 2007 द्वारा नगरीय सीमा या पेराफेरी में खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में संशोधन किया गया है, अतः नगरीय सीमा या पेराफेरी क्षेत्र में स्थित भूदान की भूमियों के संबंध में उक्त नियम, 1970 के नियम 18 के संशोधन के अनुसार खातेदारी अधिकार देने के संबंध में कार्यवाही करावें। इस संबंध में उपनिवेशन विभाग द्वारा भी अधिसूचना क्र0 4(11)उप/96 दि0 18.01.2010 जारी की गई, अतः **प्रत्येक प्रकरण में उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं में से जो भी लागू होती हो उसके अनुसार भूदान भूमि पर खातेदारी अधिकार देने की कार्यवाही करावें**''

उपनिवेशन विभाग द्वारा भी अधिसूचना क्र0 4(11)उप/96 दि0 18.01.2010 अनुसार--

''राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधित) अधिनियम, 2008 (सं. 20/2008) में प्रतिस्थापित धारा-24 के अनुसरण में भूदान होल्डर्स को तहसील अभिलेखों में खातेदार दर्ज करने हेतु पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 26.03.2009 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज. भूदान यज्ञ (संशोधित) अधिनियम, 2008 के लागू होने की तिथि से ही भूदान ग्रांटी खातेदार हो गये है। **अतः खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अंकित किया जावे।** लेकिन खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज करने एवं राजस्व रेकर्ड में तदानुसार खातेदारी दर्ज करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें किः-

1. सद्भावी भूदान आवंटियों को जिनको विधिवत् रूप से आवंटन किया गया है एवं जिसका आद्यतन अंकन राजस्व रेकार्ड में है, को खातेदारी दर्ज किया जावें।
2. यदि किसी भूदान होल्डर से संबंधित भूदान भूमि का टाईटल, अधिनियम संशोधन से पूर्व, विवादित रहा हो तो ऐसे भूदान होल्डर को तब तक खातेदार दर्ज नहीं किया जावे जब तक कि विवाद का निराकरण नहीं हो जावें।
3. उक्त संशोधन से पूर्व यदि किसी भूदान होल्डर ने भूमि का अवैध एवं अनाधिकृत बेचान कर दिया हो तो उस भूदान होल्डर (विक्रेता) अथवा क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज नहीं की जावें और यह भूमि भूदान बोर्ड के नाम दर्ज की जाकर क्रेता व विक्रेता दोनों को भूमि से बेदखल कराया जावें।
4. भूदान बोर्ड द्वारा जो भूदान भूमि सामुदायिक प्रयोजनार्थ संस्थाओं को आवंटित हुई है या भविष्य में होती है तो उन संस्थाओं को खातेदारी हक नहीं दिया जावें और यदि ऐसी किसी संस्था द्वारा आवंटित भूमि का हस्तांतरण अन्य किसी को किया जाना प्रमाणित हो तो उस भूमि को भी

संस्था के नाम निरस्त कर भूदान बोर्ड के नाम से दर्ज की जावें और संस्था को भूमि से बेदखली की कार्यवाही की जावें।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुरूप तहसीलदार खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकेगा।''

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू-दान यज्ञ अधिनियम-1954 में अधिसूचना दिनांक 13.05.2018 द्वारा अधिनियम-1954 की धारा-24 व 25 में निम्नानुसार संशोधन किया गया-

''24. भूमि का निहित होना और प्राप्तिकर्ता के अधिकार-इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु इस अधिनियम की धारा-26 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अनुदानित भूमि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधित) अधिनियम-2008 (2008 का अधिनियम सं. 20) के प्रारम्भ की तारिख या अनुदान की तारिख, जो भी बाद में हो, से राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और ऐसी भूमि का प्राप्तिकर्ता उक्त तारिख से उसका खातेदार अभिधारी बन जायेगा और राजस्थान अभिधृति अधिनियम-1955 (1955 का अधिनियम सं.3) के उपबन्धों के अधीन किसी खातेदार अधिधारी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार और अधिरोपित किये गये समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा।''

यहा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम-14(3) के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसके अनुसार, -

Condition of allotment

(1)----

(2)----

(3) The allottee shall have to bring the land under cultivation and shall utilize it properly.

Provided that this period may be extended by the Tehsildar by one year if, due to unforeseen causes over which the allottee had no control, he was unable to cultivate the land within the stipulated period.

---

(8) The land shall be liable to be resumed by the State Government without, payment of compensation if-

(a) it is not brought under cultivation strictly in accordance with the condition of allotment and it is not properly utilized;

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम-4 के अनुसार

4. Land not available for allotment under these rules. - The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-

(v) Lands within-

(f) the limits specified in guidelines of the Indian Road Congress for National Highway or State Highway or any other road maintained by the

central or State Government or any local authority, or limits specified in any Act or Rules made by central or State Government in this behalf or forty five meters from the centre of road, whichever is more;

उपरोक्त परिपत्रों, अधिनियमों एवं अभिलेखों के परिशीलन एवं परिक्षण से निम्नांकित विधिक स्थिति प्रकट होती है कि

1. भूदान होल्डर को खातेदारी अधिकार प्रदान करने से पूर्व उक्त परिपत्र व अधिसूचनाओं पर विचार नहीं किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि भूदान होल्डर पर भी उन प्रावधानों का प्रयोग किया गया जो एक आम गैरखातेदार के लिये उपयोग में लिये जाते है। जिला कलक्टर द्वारा उपरोक्त परिपत्रों एवं नियमों का विश्लेषण किये बिना राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा-14(4) के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जो पूर्णतया अनुचित है।

2. उल्लेखनीय है कि राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम-1954 श्री विनोभा भावे द्वारा भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु भूदान यज्ञ के क्रम में भूदान यज्ञ बोर्ड की स्थापना कर लागु किया जिसमें इस सम्बन्ध में सभी नियम बनाकर लागु किये गये। जिसमें भूदान पट्टाधारियों को पट्टे की शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर पट्टाधारी को बेदखली के सम्बन्ध में भी नियम बनाये गये है। संक्षिप्त में यह कहना उचित होगा की भूदान यज्ञ से सम्बन्धित प्रकरणों पर भूदान यज्ञ अधिनियम-1954 लागू किया और तत्पश्चात इसके संशोधित अधिनियम लागू किये। ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि इन प्रकरण पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-261 की उपधारा-(2) के खण्ड (xvii) सपठित धारा-101 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बनाये नियम राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि आवंटन), नियम-1970 के प्रावधान लागु किया जाना उचित नहीं है। दौराने बहस प्रत्यर्थी की ओर यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि हस्तगत प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि आवंटन), नियम-1970 के प्रावधान लागु होते है जबकि भूदान यज्ञ से सम्बन्धित भूमियों हेतु पृथक से अधिनियम एवं नियम बनाये गये जो भू-राजस्व अधिनियम-1956 की शक्तियों का प्रयोग कर नहीं बनाये है।

3. उपखण्ड अधिकारी, मावली के रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 के साथ संलग्न संवत् 2072 की नकल खसरा गिरदावरी अनुसार उडद-फसल का उत्पादन का अंकन किया गया। सवंत

2073 व 2075 में ज्वार फल का उत्पादन बताया गया और भूमि का वर्गीकरण-बारानी प्रथम अंकित किया गया जबकि अंतिम रिपोर्ट में कृषि कार्य नहीं किये जाने का वर्णय किया गया परन्तु इसका वर्णन नहीं किया गया है कि कब से कृषि कार्य नहीं हो रहा है। साथ ही तहसीलदार द्वारा रेकार्ड के अवलोकन बिना भूमि की किस्म पडत होने का अंकन त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

प्रावधानों अनुसार (3) The allottee shall have to bring the land under cultivation and shall utilize it properly.

Provided that this period may be extended by the Tehsildar by one year if, due to unforeseen causes over which the allottee had no control, he was unable to cultivate the land within the stipulated period.

उक्तानुसार संवत् 2075 यानि वर्ष 2018 तक कृषि कार्य किया गया है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र वर्ष 2018 में ही प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 08.07.2019 को प्रेषित की गई और जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 04.12.2019 को पारित किया गया अर्थात प्रार्थना पत्र प्राप्त होने एवं निर्णय लिये जाने में 21 माह का उपयोग किया और इसी दौरान कृषि कार्य नहीं किया गया जिसको आधार बनाया गया जबकि प्रारम्भिक रिपोर्ट में कृषि कार्य का उल्लेख किया गया है, जो शर्तों की पालना किये जाने का समर्थन करती है।

4. राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधित) अधिनियम, 2008 अन्तर्गत सड़क से दुरी के सम्बम्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड के पत्रांक 882 दिनांक 17.03.2020 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर को राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम संशोधन 2008 एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 2(12)राज-6/पार्ट दिनांक 18.11.2010 में दिये निर्देशों के अनुसरण में भूदान होल्कर को खातेदारी अधिकार दिये जा सकने का अंकन किया है। साथ ही मांगीबाई पिता स्व. कालु कुम्हार का कोई विवाद उनके कार्यालय में विचाराधीन नहीं होने का अंकन किया है। उक्त मार्गदर्शन के बावजुद

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा-14(4) के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जो प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होती है।

6. राज. भूदान यज्ञ (संशोधित) अधिनियम, 2008 के लागू होने की तिथि से ही भूदान ग्रांटी खातेदार हो गये है। परन्तु जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान न कर मौके पर फसल काश्त नहीं करने से एवं आवंटी द्वारा शर्तों की पालना नहीं किये जाने को आधार बना कर राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा-14(4) के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जो पूर्णतया अनुचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि जिला कलक्टर, उदयपुर ने प्रार्थीया के खातेदारी आवेदन पर उपरोक्त परिपत्रों एवं नियमों के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्रदान न कर केवल त्रुटिपूर्ण तथ्यों के आधार पर निर्णय/आदेश दिनांक 04.12.2019 से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा-14(4) के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जो हमारी संविचारित राय में नितान्त अविधिक होने से इसका समर्थन किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय/आदेश दिनांक 04.12.2019 आपस्त किया जाता है। जिला कलक्टर, उदयपुर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त सम्रग विवेचन, परिपत्र/अधिसूचनाओं इत्यादि के आधार पर आवेदित भूमि पर प्रार्थीया/अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार दिये जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर